



**कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

G20
उत्तराखण्ड

पत्रांक— १३५० / १२-१ :देहरादून: दिनांक: २६ दिसम्बर, 2023
रोवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषय :—जनपद—बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत धरमघर कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपाया तक गोटर मार्ग के निर्माण हेतु २.१ हेतु ० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/39043/2019)

सन्दर्भ :—प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून, महोदय के नोटशीट दिनांक 26.12.2023 से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में।

गहोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के सम्बन्ध में अवगतनीय है कि प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून महोदय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में मलवा निस्तारण स्थल के सम्बन्ध में प्रकरण पर निम्नलिखित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :—

1. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् आवश्यकतानुसार समतलीकरण कर जन उपयोगी कार्यो हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु कार्य योजना तैयार किया जाना उचित होगा।
2. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल को मलवा डाले जाने के पश्चात् क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मलवे को इस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से स्थिरीकरण किया जाये कि प्रस्तावित स्थल को वृक्षारोपण हेतु उपयोग में लाया जा सके।
3. डम्पिंग यार्ड को पब्लिक यूटिलिटी के लिये उपयोग में लाया जायेगा।
4. मलवा निस्तारण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्लोप को वेंचेस में इस प्रकार विभाजित किया जाये कि वह Stabilized हो जाये ताकि भविष्य में उक्त स्थल में पौधा रोपण करने में सुविधा हो।
5. पौधा रोपण करते समय प्रस्तावित परियोजना में नेशनल इविरोनिमटनल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा विकसित जैव-उर्वरक तकनीक को अपनाया जाय।
6. मलवा निस्तारण स्थल को वनीकरण के पारंपरिक तरीकों को Vesicular Arbuscular Mycorrhizae (VAM) और पौधों की जड़ों के साथ साझेदारी से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैकटीरिया के उपयोग के साथ पूरक किया जाएगा। ये पौधों की जड़ों पर उगते हैं और पौधों को तेज गति से पानी और पोषण विशेषकर फार्स्फोरस प्रदान करते हैं।
7. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी के साथ तालमेल रखते हुए प्रस्तावित मलवा निस्तारण स्थल को इस प्रकार उपयोग में लाया जाए कि अन्य स्थलों पर भी इस तकनीकी को मलवा निस्तारण हेतु अपनाया जा सके।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में संशोधित मलवा निस्तारण योजना सम्बन्धित प्रस्तावक विभाग से प्राप्त कर प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को शीघ्रातीशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक :— यथोपरि।

भवदीय,

(*Signature*)

(आर०क० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या— १३५० / १२-१ दिनांकित।

प्रतिलिपि :— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, कपकोट, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर०क० मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।